

कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश  
चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

# संस्था स्तर काउंसलिंग

## (College Level Counselling)

(मध्यप्रदेश के शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी क्षेत्र के संस्थान)

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (पूर्णकालिक/अंशकालिक)/बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर/बी.-डी. फार्मसी/बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टैक्नालॉजी/एम.बी.ए. (पूर्णकालिक/अंशकालिक)/एम.सी.ए./एम.टेक.-एम.ई. (पूर्णकालिक/अंशकालिक)/एम. फार्मसी/एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)/लेटरल एण्ट्री-(एम.सी.ए.)/लेटरल एण्ट्री-(बी.ई.-बी.फार्मसी) पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु।

सत्र 2018-19

## अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

मध्यप्रदेश में स्थित तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में केन्द्रीयकृत काउंसलिंग चरणों के उपरान्त रिक्त सीटों के लिये संस्था स्तर काउंसलिंग (CLC) आयोजित की जायेगी।

**संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित होगी:-**

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये जारी की गई समय-सारणी में दर्शाई गई संस्था स्तर की काउंसलिंग दिनांक को, संस्था विशेष में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिये काउंसलिंग आयोजित की जावेगी।
2. संस्था विशेष में संस्था स्तर काउंसलिंग (CLC) आयोजित किये जाने की दिनांक की जानकारी वेबसाइट [www.dte.mponline.gov.in](http://www.dte.mponline.gov.in) पर क्लिक लिंक में संस्था में सी.एल.सी. काउंसलिंग की समय-सारणी के लिंक पर उपलब्ध है।
3. काउंसलिंग वेबसाइट [www.dte.mponline.gov.in](http://www.dte.mponline.gov.in) पर संस्था/ब्रान्च वार रिक्त सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
4. संबंधित पाठ्यक्रमों की नियम पुस्तिका में उल्लेखित प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
5. बी.ई. पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **जेईई मेन-2018** प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
6. **बी.आर्किटेक्चर** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम आर्किटेक्चर परिषद (Council of Architecture) द्वारा आयोजित **नाटा परीक्षा (NATA Exam)** में **योग्य वैध स्कोर कार्ड (Qualified Valid Score Card)** प्राप्त अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के अकों का 50 प्रतिशत एवं नाटा प्रवेश परीक्षा के 50 प्रतिशत अकों को जोड़ कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर **जेईमेन्स-2018 पेपर-2 (Aptitude Test in Architecture)** को मान्य किया जायेगा।

7. **एम.बी.ए.** (पूर्णकालिक/अंशकालिक) पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **सीमैट (CMAT) 2018** प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
8. **एम.सी.ए.** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
9. **एम.टेक.-एम.ई.** (पूर्णकालिक/अंशकालिक) पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **गेट (GATE) परीक्षा के मान्य स्कोर (Valid Score)** की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
  - **एमई/एम.टेक** पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की ब्रान्च एवं प्रवेश के लिये इच्छुक ब्रान्च की समतुल्यता, आरजीपीवी, भोपाल द्वारा प्रदत्त समतुल्यता अनुसार होने पर ही प्रवेश की कार्यवाही जायेगी।
10. **एम.फार्मसी** पाठ्यक्रम के लिये सर्वप्रथम **जीपेट (GPAT) परीक्षा के मान्य स्कोर (Valid Score)** की मेरिट के आधार पर, तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
11. **बी.ई.** (अंशकालिक) पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
12. **फार्मसी (बी.-डी.)** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
13. **बी.एच.एम.सी.टी.** पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
14. **एम.सी.ए. एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)** पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
15. **एम.बी.ए. एकीकृत (पूर्णकालिक 5 वर्ष)** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
16. **लेटरल एण्ट्री-(एम.सी.ए.)** पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
17. **लेटरल एण्ट्री-(बी.ई.-बी.फार्मसी)** पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा के प्राप्त अकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
  - **लेटरल एण्ट्री-(बी.ई.)** पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की ब्रान्च एवं प्रवेश के लिये इच्छुक ब्रान्च की समतुल्यता, आरजीपीवी, भोपाल द्वारा प्रदत्त समतुल्यता अनुसार होने पर ही प्रवेश की कार्यवाही जायेगी।
18. **संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये पंजीयन शुल्क:-**
  - संस्था स्तर की काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों जिन्होंने पूर्व में पंजीयन नहीं करवाया है, उन्हें पृथक से ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन के समय शुल्क रु 1430/- (काउंसलिंग शुल्क रु 400/-, आंशिक शिक्षण शुल्क रु 1000/- एवं पोर्टल शुल्क रु 30/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा (नॉन-रिफण्डेबल)। **प्रवेशित अभ्यर्थियों की**

आंशिक शिक्षण शिक्षण शुल्क की राशि प्रवेशित संस्था में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं की है अथवा जिन्होंने संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग हेतु पंजीयन शुल्क रु 1030/- (आंशिक शिक्षण शुल्क रु 1000/- एवं पोर्टल शुल्क रु 30/- सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। प्रवेशित अभ्यर्थियों की आंशिक शिक्षण शिक्षण शुल्क की राशि प्रवेशित संस्था में स्थानांतरित कर दी जायेगी।

**काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यम:-**

- ई-वालेट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
- अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपलब्ध कियोस्क पर नगद भुगतान।
- एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

**19. अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन:-**

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन सह-दस्तावेज सत्यापन (e-verified) की पर्ची प्राप्त हुई है उन्हें अधिकृत सहायता केन्द्रों से सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्ववर्ती चरण में दस्तावेजों का सत्यापन की कार्यवाही अधिकृत सहायता केन्द्र से पूर्ण करवा चुके उन्हें दस्तावेजों का पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश से पूर्व अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करवायें।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है। उनके द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
- ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रवेश के पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें संस्था स्तर की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरान्त दिनांक 20/08/2018 से 26/08/2018 तक, कार्यालयीन दिवस/समय में अधिकृत सहायता केन्द्रों से दस्तावेजों का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा अन्यथा उनका नाम विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाली प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जावेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापन ओटीपी अथवा बायोमैट्रिक के माध्यम से नहीं हो सका है उन्हें निकटस्थ अधिकृत सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर आधार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना होगा अन्यथा उनका नाम विश्वविद्यालय को भेजे जाने वाली प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं किया जावेगा।

20. **इच्छित संस्था में प्रवेश के लिये उपस्थिति एवं संस्था में प्रवेश (Presence at desired Institute & admission in the Institute)**

- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये जारी की गई समय-सारणी अनुसार, संस्था स्तर काउंसलिंग दिनांक को अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक शुल्क के साथ इच्छुक संस्था में उपस्थित हो कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
- संस्था स्तर काउंसलिंग की निर्धारित तिथि पर संस्था में उपस्थित अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट अनुसार संस्था द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।
- ऑनलाइन प्रवेश के तुरंत बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पर्ची का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उस प्रवेश पर्ची में संस्था के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हों।
- प्रवेश उपरांत अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी स्टेटस को वेबसाइट पर उपलब्ध **चैक कैंडिडेट स्टेटस** की लिंक पर भी अवश्य मिलान कर लें।
- अभ्यर्थी मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत अनिवार्य रूप से वापिस प्राप्त करें।
- किसी भी परिस्थिति में मूल प्रमाण-पत्र संस्था में जमा न करें।
- संस्था में प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) की मूल प्रति आवश्यक रूप से जमा की जाना है तथा आवश्यक होने पर माईग्रेशन की मूल प्रति भी जमा करनी होगी।
- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया जाता है अथवा संस्था द्वारा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि काउंसलिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- काउंसलिंग/प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण वेबसाइट:—  
[www.dte.mponline.gov.in](http://www.dte.mponline.gov.in) अथवा [www.dtempcounselling.org](http://www.dtempcounselling.org)
- सम्पर्क फोन नं. 0755-4036802 एवं 0755-2660441

सही  
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं  
संचालक तकनीकी शिक्षा,  
मध्यप्रदेश